

क्रमांक 36/018 अतिम - डिक्री निर्णय दिनांक 24/9/09

श्री नंदकिशोर राजौरा RAS उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला-बारां
 स्थिति :- अभिभाषक वादी राजेश कुमार लोधा अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

- 1- जुगल किशोर पुत्र ओंकार
- 2- हरिओम पुत्र ओंकार
- 3- मुन्नीबाई पुत्री ओंकार जाति खाती निवासी गण कुलिजरा तहसील
 छबड़ा जिला-बारां वादी
- 1- गुडडीबाई पति जानकीलाल पाति लोधा निवासी तीतरखेड़ी
 तहसील छबड़ा जिला-बारां
- 2- राजस्थान सरकार एवं तहसीलदार छबड़ा जिला-बारां
 प्रतिवादी

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

तहसीलदार छबड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित
 आराजीयत का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्न प्रकार किया
 जाता है।

नाम खातेदार	ख.त.	रकबा	लगान
1- जुगल किशोर, हरिओम, पुत्र ओंकार, मुन्नीबाई पुत्री	131 -	0.08	0.43
ओंकार जाति खाती सागरेह	582 -	0.15	0.23

दि० 1/3 किला 2 रकबा 1.03 - 66



साथ ही निम्नानुसार रु. का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए
 उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24/9/09 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 हस्ताक्षर
 छबड़ा जिला बारां (राज.)
 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
	लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		